राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०
पी.सी.एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष :0522-2630130 (कार्यालय)
फैक्स :0522-2630115, 2630134
वेबसाइट :http://sec.up.nic.in
ईमेल :secup@up.nic.in, secup32@gmail.com

State Election Commission., U.P.
P.C.F. Building, 32-Station Road, Lucknow
Phone : 0522-2630130 (O)
Fax : 0522-2630115, 2630134
Website: http://sec.up.nic.in
Email : secup@up.nic.in, secup32@gmail.com

संख्या– **709** / रा0नि0आ0अनु0–3 / पं0नि0 / 20–21 / 2021 लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2021

# अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या–741 / 33–3–221 दिनांक 26.03.2021 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद–243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा–12खख एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–264ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों एवं ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल छः माह से अधिक अवशेष हो, को छोड़कर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराए जाने का निर्देश देता हूँ :–

| चुनाव चक्र | नामांकन का दिनांक व समय | नामांकन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय | उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय | प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय | मतदान का दिनांक व समय | मतगणना का दिनांक व समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम चरण | **03** अप्रैल, 2021 से **04** अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक) | **05** अप्रैल, 2021 से **06** अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | **07** अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 से अपराह्न 03.00 बजे तक) | **07** अप्रैल, 2021 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | **15** अप्रैल, 2021 (गुरूवार) (पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक) | **02** मई, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |
| द्वितीय चरण | **07** अप्रैल, 2021 से **08** अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक) | **09** अप्रैल, 2021 से **10** अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | **11** अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 से अपराह्न 03.00 बजे तक) | **11** अप्रैल, 2021 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | **19** अप्रैल, 2021 (सोमवार) (पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक) | **02** मई, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |
| तृतीय चरण | **13** अप्रैल, 2021 एवं **15** अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक) | **16** अप्रैल, 2021 से **17** अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | **18** अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 से अपराह्न 03.00 बजे तक) | **18** अप्रैल, 2021 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | **26** अप्रैल, 2021 (सोमवार) (पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक) | **02** मई, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चतुर्थ चरण | **17** अप्रैल, 2021 से **18** अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक) | **19** अप्रैल, 2021 से **20** अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | **21** अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 से अपराह्न 03.00 बजे तक) | **21** अप्रैल, 2021 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | **29** अप्रैल, 2021 (गुरूवार) (पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक) | **02** मई, 2021 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) |

2. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अपने जिले की सूचना दिनांक 26.03.2021 को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए भेजेंगे और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल भेजेंगे। ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 27.03.2021 को सूचना निर्गत की जाएगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराया जाएगा और गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाएगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किए जाने के दिनांक अर्थात् दिनांक 27.03.2021 से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जाएगा।

3. उपर्युक्त सामान्य निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालय पर होगा। सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य जिला मुख्यालय पर होगा। ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकासखण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जाएगी। जिला पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना विकासखण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जाएगी तथा परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी।

4. उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

5. जनपदों की चरणवार निर्धारण सूची संलग्न है।

मनोज कुमार
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–709 (1)/रा0नि0आ0अनु0–3/पं0नि0/20–21/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
11. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
14. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन/परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु भेज दें।
18. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
20. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
21. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
22. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
23. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
24. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
25. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित करा दें।
26. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित करा दें।
27. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, गोरखपुर केन्द्र, गोरखपुर।
28. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को **दिनांक 26.03.2021** के असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इसकी दस प्रतियॉ आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया यह ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
29. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
30. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
31. गार्ड फाइल, अनुभाग–3, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश वर्मा)
अपर निर्वाचन आयुक्त।

# जनपदों का चरणवार निर्धारण

| क्र0 सं0 | मंडल / परिक्षेत्र | जनपद (चरण–1)<br>मतदान दिनाँक 15 अप्रैल, 2021 | जनपद (चरण–2)<br>मतदान दिनाँक 19 अप्रैल, 2021 | जनपद (चरण–3)<br>मतदान दिनाँक 26 अप्रैल, 2021 | जनपद (चरण–4)<br>मतदान दिनाँक 29 अप्रैल, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | सहारनपुर | सहारनपुर | मुजफ्फर नगर | शामली | |
| 02 | मेरठ | गाजियाबाद | बागपत<br>गौतमबुद्ध नगर | मेरठ | बुलंदशहर<br>हापुड़ |
| 03 | मुरादाबाद | रामपुर | बिजनौर<br>अमरोहा | मुरादाबाद | सम्भल |
| 04 | बरेली | बरेली | बदायूँ | पीलीभीत | शाहजहाँपुर |
| 05 | अलीगढ़ | हाथरस | एटा | कासगंज | अलीगढ़ |
| 06 | आगरा | आगरा | मैनपुरी | फिरोजाबाद | मथुरा |
| 07 | कानपुर नगर | कानुपर नगर | कन्नौज<br>इटावा | औरैया<br>कानपुर देहात | फर्रूखाबाद |
| 08 | झाँसी | झाँसी | ललितपुर | जालौन | |
| 09 | चित्रकूट | महोबा | चित्रकूट | हमीरपुर | बांदा |
| 10 | प्रयागराज | प्रयागराज | प्रतापगढ़ | फतेहपुर | कौशाम्बी |
| 11 | लखनऊ | रायबरेली<br>हरदोई | लखनऊ<br>लखीमपुर खीरी | उन्नाव | सीतापुर |
| 12 | अयोध्या | अयोध्या | सुलतानपुर | अमेठी<br>बाराबंकी | अम्बेडकर नगर |
| 13 | देवीपाटन | श्रावस्ती | गोण्डा | बलरामपुर | बहराइच |
| 14 | बस्ती | सन्त कबीर नगर | | सिद्धार्थ नगर | बस्ती |
| 15 | गोरखपुर | गोरखपुर | महराजगंज | देवरिया | कुशीनगर |
| 16 | वाराणसी | जौनपुर | वाराणसी | चन्दौली | गाजीपुर |
| 17 | विन्ध्याचल | भदोही | | मीरजापुर | सोनभद्र |
| 18 | आजमगढ़ | | आजमगढ़ | बलिया | मऊ |

* दिनाँक 02 मई, 2021 से समस्त जनपदों की मतगणना एक साथ प्रारम्भ होगी।

(वेद प्रकाश वर्मा)
अपर निर्वाचन आयुक्त/विभागाध्यक्ष
राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०